

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./
प्रति,

11/01

/2023/रायगढ़, दिनांक - 21-02-2023

General Manager, Administration
B.S. Sponge Pvt. Ltd.
Vill- Taraimal, Tamnar, Raigarh (C.G.)

विषय :- Diversion of 0.144 ha. Forest land in favour of M/s. B.S. SPONGE PVT. LTD. for laying Pipeline from Dewanmunda Nala to Plant site in order to fulfill the water requirement for the operation of plant at Village- Jamdabri, Range- Tamnar in Raigarh Forest Division Raigarh District in the State of Chhattisgarh- regarding.

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/Pipeline/151253/2022

संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.-एफ. आई.आर.ओ.सी.एच.-18/2022/1130 दिनांक 22.12.2022
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-916/3069 रायपुर दिनांक 28.12.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.-एफ.सी.-1/आई.आर.ओ.सी.एच.-18/2022/1130 दिनांक 22.12.2022 द्वारा laying Pipeline from Dewanmunda Nala to Plant site in order to fulfill the water requirement for the operation of plant at Village- Jamdabri, Range- Tamnar in Raigarh Forest Division Raigarh हेतु प्रभावित कुल 0.144 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

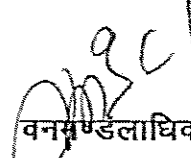
सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i से xx) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र प्रेषित करें एवं निम्नानुसार राशि जमा करें।

- 1) प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक II के पालन में व्यपवर्तित क्षेत्र में 36 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। प्रस्तावित प्रकरण 1,000 हे. से कम होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैण्डबुक के पृष्ठ क्रमांक 48 के पैरा 2.6 (I) के पालन में प्रभावित वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 360 वृक्षों के 10 वर्षीय रखरखाव हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की नवीन दर राशि रु. 8,78,787/- की दर से प्रभावित रकबा 0.350 हे. के लिए राशि 3,07,575.00 (तीन लाख सात हजार पांच सौ पछहत्तर मात्र) जमा करें।
- 2) समादेश याचिका (सी) क्रमांक 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक 556 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा भारत सरकार के पत्र क्रमांक/एफ.नं. 5-3/2011-एफ.सी.(व्ही.ओ.एल.-1) दिनांक 06 जनवरी 2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 0.144 हे. में से सघन वन रकबा 0.114 हे. के लिए इको वेल्थ

क्लास-III सघन वन प्रति हे. 12,28,590.00 अनुसार राशि रुपये 1,76,917/- (रुपये एक लाख छिहत्तर हजार नौ सौ सत्रह) मात्र जमा करें।

- 3) अधिरोपित शर्त क्रमांक XIII के पालन में आवेदित क्षेत्र को 04 फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स द्वारा सीमांकित किये जाने हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 6,08,059.00 (रुपये छः लाख आठ हजार उन्सठ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।
- 4) अधिरोपित शर्त क्रमांक V के पालन में आवेदित क्षेत्र में प्रभावित 36 नग के वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 16,046.00 (सोलह हजार छियालिस) मात्र का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।

बिन्दु क्रमांक 01, एवं 02 की राशि कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा करें तथा बिन्दु क्रमांक 03 एवं 04 की राशि का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।


वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

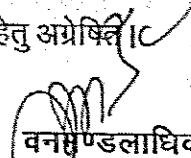
पृ. क्रमांक/तक.अधि./

1182

/2023/रायगढ़, दिनांक - 22.02.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप वनमण्डलाधिकारी घरघोड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./1195
प्रति,

/2023/रायगढ़, दिनांक - 23/02/2023

General Manager, Administration
B.S. Sponge Pvt. Ltd.
Vill- Taraimal, Tamnar, Raigarh (C.G.)

विषय:-

Diversion of 0.144 ha. Forest land in favour of M/s. B.S. SPONGE PVT. LTD. for laying Pipeline from Dewanmunda Nala to Plant site in order to fulfill the water requirement for the operation of plant at Village- Jamdabri, Range- Tamnar in Raigarh Forest Division Raigarh District in the State of Chhattisgarh- regarding.

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/Pipeline/151253/2022

संदर्भ:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.-एफ. आई.आर.ओ.सी.एच.-18/2022/1130 दिनांक 22.12.2022
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-916/372 रायपुर दिनांक 17.02.2023
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, के आदेश क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-607/58 दिनांक 08.02.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.-एफ.सी.-1/आई.आर.ओ.सी.एच.-18/2022/1130 दिनांक 22.12.2022 द्वारा laying Pipeline from Dewanmunda Nala to Plant site in order to fulfill the water requirement for the operation of plant at Village- Jamdabri, Range- Tamnar in Raigarh Forest Division Raigarh हेतु प्रभावित कुल 0.144 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक- VII के अनुपालन में पक्षी संवर्धन योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, के आदेश क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-607/58 दिनांक 08.02.2023 द्वारा किया गया है। पक्षी संवर्धन योजना में प्रावधानित राशि रु. 5.00 लाख रुपये जमा करने हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक-2 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।

अतः पक्षी संवर्धन योजना में प्रावधानित राशि रु. 5.00 लाख रुपये कैम्पा कारपोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा करें।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 1196

/2023/रायगढ़, दिनांक - 23/02/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सूचनाथ संप्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सूचनाथ संप्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

✓  वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़